राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्रका / प्रशा. / एफ / जीसी / मिसलेनियस / 2020 / 4005   दिनांक : 31.3.2021

कार्यालय आदेश

श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा निगम के अधिकारियों के साथ राज्य भण्डार गृह, टोंक, दूनी, निवाई और बूंदी का दिनांक 03.03.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि राज्य भण्डार गृहों में कार्मिक, निगम द्वारा निर्धारित वर्दी में उपस्थित नहीं थे जबकि निगम द्वारा समय–समय पर सभी सम्बन्धित कार्मिकों को वर्दी में कार्यालय उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है।

सभी सम्बन्धित कार्मिकों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय में निगम द्वारा निर्धारित वर्दी में उपस्थित होंगे। यदि कोई कर्मचारी निगम की निर्धारित वर्दी में कार्यालय में नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ उसे भविष्य में वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

सभी सम्बन्धित कर्मचारी इसकी कड़ाई से पालना करना सुनिश्चित करें।

(विश्वास पारीक)
कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यायल, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर एवं समस्त भण्डारगृह प्रभारी को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित वर्दी में उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करावें।
3. नोटिस बोर्ड, प्रधान कार्यालय जयपुर।

31/3

(योगेश कुमार वर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)